

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. District: STATE VIG BUREAU PS: SVB ROHTAK Year: 2015 FIR No: 03 Date: 10-01-2015

2. Act(s): P.C. ACT

Section(s)

(i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988

7, 13 (1)D & 13 (2) P.C. ACT

(ii)

(iii)

(iv)

18. Occurrence of Offence:

(a) Day: शनिवार

Date From: 10-01-15

Date To: :

Time Period:

Time From:

Time To: 12:30 P.M.

(b) Information received at P.S: Date: : 10-01-15

Time: 12:30 P.M.

(c) General Diary Reference:

Entry No.: 5

Time: 12:30 P.M.

4. Type of Information: WRITTEN नि० जयभगवान, रा०चौ०ब्यूरो, रोहतक।

5. Place of Occurrence: Rohtak (a) Direction and Distance from P.S.: उत्तर करीब 70 Km. Beat No.:

(b) Address:

(c) In case, Outside the limit of the Police Station:

Name of P.S: SVB ROHTAK

District: Rohtak

6. Complainant/Informant:

a. Name : निरीक्षक, करतार सिंह, जांच अधिकारी

b. Birth year:

Nationality: INDIAN

c. Passport No.

Date of issue:

Place of Issue:

d. Occupation:

e. Address: राज्य चौकसी ब्यूरो (ह०) रोहतक।

7. Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):

1 डा० बाबूराम, सिविल सर्जन करनाल।

2. वेदप्रकाश, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सी०एच०सी० असन्ध, करनाल।

8- Reason for delay in reporting by the complainant/informant:

No Delay

9 **Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
--------	----------------------------	-----------------	--------

(i)

(ii)

(iii)

10- **Total value of property stolen:**

11 **Inquest Report/U.D Case No., if any**

12 **F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):**

सेवा में प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा रोहतक मण्डल रोहतक श्री मान जी निवेदन है कि जांच क्रमांक 5 दिनांक 6.09.13 करनाल मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 49/20/2013-5 चौकसी-1 दिनांक 29.08.13 अनुसार प्राप्त हुई थी जिसमें अन्य आरोपों के अतिरिक्त यह भी आरोप था कि असन्ध ऐरिया श्री राजेन्द्र सिंह सैनेटरी इन्सपैक्टर Food & Drug Administration Deptt. करनाल के अधिकार क्षेत्र में आता है इस क्षेत्र में नियुक्त वेदप्रकाश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस क्षेत्र के हलवाई, किरयाणा, दूध, ढाबे, होटल व अन्य खादय पदार्थ विक्रेताओं से मन्थली के रूप में 13-14 हजार रूपये इक्टठे करके डा0 बाबूराम सिविल सर्जन करनाल जो इस क्षेत्र का Food & Drug Administration Deptt. Karnal का Designated Officer असन्ध है को देता है जिसकी शिकायत ऋषिराज गौतम सिनियर सैनेटरी इन्सपैक्टर कार्यालय सिविल सर्जन करनाल द्वारा की गई इस शिकायत की जांच में उक्त आरोप के सम्बन्ध में शिकायत कर्ता द्वारा सी0डी0 पेश की जिसमें वेदप्रकाश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की डा0 बाबूराम सिविल सर्जन करनाल से उपरोक्त मन्थली इक्टठी करने बारे बातचीत रिकार्ड है सी0डी0 की आवाज नमूना जांच न्याय वैदिक प्रयोगशाला मधुबन द्वारा किये जाने पर बातचीत में दोनो की आवाज की पुष्टी होनी पाई गई सी0डी0 में की गई बातचीत के विवरण से रिश्त की राशी इक्टठा करने बारे स्पष्ट बातचीत की गई तथा 13-14 हजार रूपये असन्ध क्षेत्र के हलवाईयों, दुकानदारों से मांग करना व इक्टठा करना पाया गया है असन्ध क्षेत्र डा0 बाबूराम सिविल सर्जन करनाल के अधीन आता है इसलिये डा0 बाबूराम सिविल सर्जन करनाल व श्री वेदप्रकाश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सी0एच0सी0 असन्ध के विरुद्ध मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के आदेश नं0 49/20/2013-4 चौकसी-1 दिनांक 17.12.14 द्वारा जैर धारा 7, 13 (1)डी0 व 13 (2) भ्रष्टाचार अधिनियमके तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये है। अतः तहरीर सेवा में भेजकर अनुरोध है कि उपरोक्त के विरुद्ध सरकार के आदेशानुसार मुकदमा दर्ज करके स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट तथा सभी सम्बन्धित को भेजी जाए। जांच से सम्बन्धित मूल रिकार्ड साथ संलग्न है। हस्ता हिन्दी करतार सिंह, (करतार सिंह) निरीक्षक/जांच अधिकारी राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) रोहतक मण्डल रोहतक। दि 23.12.14 अज थाना जांच क्रमांक 5 दिनांक 6.09.13 करनाल जांच अधिकारी नि0 करतार सिंह द्वारा जांच में डा0 बाबूराम सिविल सर्जन करनाल व वेद प्रकाश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सी0एच0सी0 असन्ध के विरुद्ध सिद्ध होने पर मुख्यालय पंचकूला भेजी गई थी जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के आदेश क्रमांक 49/20/2013-4 चौकसी -1 दिनांक 17.12.14 अनुसार उपरोक्त दोनो Accused के विरुद्ध 7, 13 (1) डी0 व 13 (2) पी0सी0 एक्ट के तहत मु0 दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये जिस पर कार्यवाही करते हुये निरीक्षक करतार सिंह ने एक तहरीर उपरोक्त धाराओं के तहत मु0 दर्ज करवाने बारे लिखकर अनुमोदन हेतु मुख्यालय पंचकूला भेजी जो उपरोक्त दोनो के विरुद्ध मु0 दर्ज करने बारे तहरीर पत्र क्रमांक नं0 499/I-1/SVB (H) Dated PanchKula 8-01-15 बाद अनुमोदन प्राप्त होने पर दोषी डा0 बाबूराम सिविल सर्जन करनाल व श्री वेदप्रकाश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी C.H.C असन्ध के विरुद्ध जैर धारा 7, 13 (1) डी0 व 13 (2) पी0सी0 एक्ट का दर्ज रजिस्टर करके सूचना अफसरान बाला को बजरिया स्पेशल मैसेन्जर व मेल द्वारा दी गई तथा स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट करनाल को देने के लिये बदस्त सि0 रामचन्द्र 619/रोहतक भेजी जा रही है नकल मिशाल पुलिस मय असल तहरीर मय रिकार्ड समस्त Enquiry 7 फाईल हवाले आदेशानुसार अफसरान बाला नियुक्त शुदा I/O निरीक्षक विषेशर सिंह को की गई।

13 **Action Taken (Since the above information reveals commission of offence (s) u/s as**

mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation

OR

(ii) Directed(Name of the I.O.): नि० विषेशर सिंह

No.:

Rank: निरीक्षक

to take up the investigation,OR

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S.(name):

On point of jurisdiction:

District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer

Name – जयभगवान

Rank: Insp. No: 190/ HAP

15 Date and Time of despatch to the court:

बदस्त Ct. रामचन्द्र नं० 619/रोहतक।